न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

पत्रावली संख्याः 33/2017 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

कृष्णादेवी पत्नी राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी मौरोली डांग तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. मौरोली विकास समिति मौरोलीडांग जरिये सचिव लक्ष्मनप्रसाद शर्मा पुत्र शिवचरन लाल कौम ब्राहमण निवासी मौरोली डांग तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 31.5.2017 नामान्तरकरण सं0 657 ग्राम मौरोलीडांग तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

उपस्थित :

1. श्री महाराजसिंह वकील अपीलान्ट।
2. श्री सत्यप्रिय सिंह वकील रैस्पोडेन्ट।
3. पैरोकार सरकार

दिनांक : 19.1.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

यह अपील राज0भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार रूपवास की आज्ञा दिनांक 31.5.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.5. 2017 से मुताविक समर्पणनामा दिनांक 25.5.2017 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 657 रैस्पोडेन्ट संख्या–1 के हक में स्वीकार किया गया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि आराजी खसरा नम्बर 153/1.00, 157/1.09, 158/2.03 से वर्तमान खसरा नम्बर 722/153/0.07, 723/153/0.13, 718/157/0.05, 719/157/1.04, 720/156/0.04, 721/158/1.19 बनाये जाकर कथित समर्पणनामा के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने में तहत अदालत ने भारी त्रुटी की है। तहत अदालत ने ख0नं0 722/153/0.07, 718/157/0.05 को मकबूजा सरकार गैर मुमकिन रास्ता मानते हुये नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो कि कतई गलत है। यह भूमि मौके पर रास्ता की भूमि नहीं है बल्कि अपीलान्ट के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है । अपीलान्ट खसरा नम्बर 73/1.05, 84/0.10, 235/1.14, 609/142/0.14 किता 4 रकबा 4.03 हैक्टेयर वौके ग्राम मौरोलीडांग पर खातेदार काश्तकार काबिज है। इस आराजी पर रैस्पोडेन्ट का किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। तहत अदालत ने मौके की स्थिति को भी कोई अवलोकन नहीं किया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कौनसा भाग किस खातेदारी में दर्ज किया जाना है तथा कौनसे नम्बर होना चाहिऐ इसके अलावा नामान्तरकरण प्रक्रिया में नये नम्बरान सृजित करने का न्यायालय तहत को कोई आधिकार नहीं है। अपीलान्ट को बिना सुने बिना कोई नोटिस/सूचित किये उसकी कब्जे काश्त खातेदारी आराजी को रास्ता (सरकारी) भूमि दर्ज कराने का आदेश दे दिय है जो काबिल निरस्तनीय है।

पैरोकार सरकार द्वारा तहत अदालत तहसीलदार रूपवास के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.5.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों कि तहत अदालत में अपीलाधीन नामान्तरकरण नियमानुसार समर्पणनामा दिनांक 25.5.2017 के आधार पर स्वीकृत किया गया है। स्वयं समर्पणकर्ता श्री लक्ष्मनप्रसाद शर्मा द्वारा प्रस्तुत समर्पणनामा के आधार पर तहत अदालत तहसीलदार रूपवास द्वारा बाद कार्यवाही पत्रांक 802 दिनांक 25.5.2017 से जारी हुकमन आदेश के परिपेक्ष्य में ही अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। समर्पणनामा के आधार पर जारी हुक्मन आदेश के परिपेक्ष्य में खोले गये अपीलाधीन नामान्तरकरण को अपील के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती। जब तक समर्पणनामा दिनांक 25.5.2017 आस्त्वि में रहता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है उसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता। नामान्तरकरण से हक हकूक तय नहीं हो सकते यदि अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तरकरण से कोई गुरैज है तो वह समर्पणनामा को चुनौती देकर उसे निरस्त कराये जाने हेतु स्वतन्त्र रहते है यदि समर्पणनामा निरस्त हो जाता है तो उसके आधार पर खोला गया नामान्तरकरण स्वतः ही निरस्त हो जायेगा । इस तरह 75 एल0 आर0 एक्ट के अंतर्गत नामान्तरकरण को निरस्त कराने का अपीलान्ट कतई अधिकार नहीं रखता है। आज दिनांक तक समर्पणनामा आस्तित्व में है जिसे किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। अपील में मिल्कीयती के अधिकार तय नहीं होते है इसलिऐ यह अपील खारिज की जावे। तहत अदालत ने एक समर्पणनामा दस्ताबेज के आधार पर ही बाद जांच नियमानुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो कानून के दायरे में रह कर ही पारित किया गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण में कहीं कोई कानूनी अनियमिता नहीं है। अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुये तहत अदालत द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 657 दिनांक 31.5.2017 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण के कॉलम नम्बर 14–16 में हो रहे इन्द्राज से स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण समर्पण नामा क्रमांक एलआर/17/802 दिनांक 25.5.2017 की पालना में भरा गया है। पत्रावली में संलग्न समर्पणनामा की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि समर्पणकर्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद शर्मा स्वयं के द्वारा राज्य सरकार के हित में किये गये समर्पणनामा के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश बाद जांच स्वीकृत किया गया है। ऐसे में नामान्तरकरण की कार्यवाही को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। जिस समर्पण–नामा/दानपत्र द्वारा भूमि समर्पित की गई है जब तक उसकी वैद्यता सक्षम न्यायालय द्वारा तय नहीं हो जाती नामान्तरकरण की कार्यवाही को अवैद्य नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी स्थिति में 75 एलआरएक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत नामान्तरकरण की अपील में उस आधार (समर्पणनामा) का परीक्षण किया जाना न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार न होने के कारण मुनासिब नहीं रहता है । ऐसा कोई तथ्य भी अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके कि उक्त समर्पणनामा सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका हो। अर्थात वर्तमान में सपर्मणनामा आस्तित्व में है और समर्पणनामा के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आस्तित्व में रहते हुये उसके आधार पर स्वीकार किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार रूपवास द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 657 दिनांक 31.5.2017 में कोई विधिक त्रुटी न होने के कारण बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.1.2018 को सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

भरतपुर